उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
-पत्र नम्बर 09/2023
सुन्दर देवी बनाम जसपाल सिंह वगैरा
- पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

सुन्दर देवी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट नि. शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

प्रार्थीया

विरूद्ध

जसपाल सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ सा. हाउस नं. 30 ए नजदीक गुरूद्वारा भगत नामदेव सं. 9/2 हनुमानगढ़ जंक्शन

सुरजीत सिंह पुत्र दर्शन सिंह उर्फ गुरदर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

परमदीप सिंह पुत्र मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ हाल नि. गांव अजित गिल डाक. रमाणा अलवेल सिंह त. गगंसर जैतो जिला फरीदकोट

मनदीप सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ हाल नि. गांव अजित गिल डाक. रमाणा अलवेल सिंह त. गगंसर जैतो जिला फरीदकोट

राजेन्द्र सिंह पुत्र गुरप्यार सिंह जाति जटसिख निवासी शेरगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ हाल नि. गांव अजित गिल डाक. रमाणा अलवेल सिंह त. गगंसर जैतो जिला फरीदकोट

अप्रार्थीगण

—:आदेश:—

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार के प्रार्थीया के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 एम.के.एसत्र में जमाबंदी वर्ष 2078 के ता सं. 205/10 में कुल 2.2770है. कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में अंकित है। उक्त खाता जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त खाता में प्रार्थीया की ही कृषि भूमि । जिसका विवरण निम्नांकित है।

चक 14 एम.के.एस. खाता सं. 205/10 जमाबंदी वर्ष 2078

प.नं.	मु.नं.	किला नं.
176/233	23	8/0.253, 9/0.253, 12/0.253, 19/0.253, 22/0.253 प्रत्यके नहरी
176/234	24	2/0.253, 9/0.253, 12/0.253, 19/0.253 प्रत्येक नहरी

कुल कृषि भूमि 2.2770है. नहरी है। प्रार्थीया को प्रार्थना त्र की चरण सं. 2 मे वर्णित कृषि भूमि में आवागमन व काश्त हेतु कृषि औजार, साधन ट्रक्टर आदि ले जाने के लिए पत्थर लाईन पर पूर्व से पश्चिम में चल रहे स्वीकृत रास्ते से प. 176/234 के मु.नं. 24 के किला नं. 22 की पश्चिम दिशा की तरफ किला नं. 21 के

Signature Not Verifie
Digitally signed by Rakes
Meena
Date: 2024.05.21 15:03:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...ता हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर 2 बिस्वा अर्थात $16^{1/2}$ फीट चौड़ा व 165 फीट लंबा ...ा है। अर्थात दक्षिण से उत्तर 165 फीट लंबा रास्ता प्रस्तावित रास्ता है व अन्य विकल्पतः ...ता पत्थर नं. 176/234 के मु.नं. 24 के किला नं 21 के पूर्व दिशा की तरफ किला नं. 22 ...साथ चिपते हुए $16^{1/2}$ फीट चौड़ा व दक्षिण से उत्तर की ओर 165 फीट लंबा व इसी ...र नं. मु.नं. 24 के किला नं. 20 के पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ किला नं. 19 के चिपते $16^{1/2}$ फीट चौड़ा व दक्षिण से उत्तर की तरफ 20 फीट लम्बा रास्ता है। जो प्रार्थीया की ...ृ भूमि का सबसे निकटतम व लघुतम रास्ता है जो पत्थर लाईन पर स्वीकृत रास्ता पर ...ता है अर्थात रास्ते को जोड़ता है उक्त प.नं. 176/234 के मु.नं. 24 के किला नं. 22 पर ...र्थी का कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया को अपनी उपरोक्त ...ा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि में आवागमन के लिए उपलब्ध नहीं है। जिसे स्वीकृत ...वाने के लिए प्रार्थीया अधिकारी व दावेदार है तथा जिसे स्वीकृत रास्ता के रूप में एक ...ा 165 फीट लम्बाई लिए हुए व 2 बिस्वा अर्थात $16^{1/2}$ फीट चौड़ाई लिए हुए अर्थात 2 ...वा (0.026है.) गै.मु. रास्ता के रूप में भी अंकित करवाने के लिए अधिकारी व दावेदार है। ... स्वीकृत किए जाने वाले रास्ते की भूमि के प्रतिकर के सदाय का माननीय न्यायालय द्वारा ... भी न्यायोचित आदेश प्रार्थीया को दिया जावेगा प्रार्थीया उसकी पालना हेतु तैयार व तत्पर ...व रहेगी। प्रार्थीया को अप्रार्थी आश्वासन देते रहे कि व उक्त प्रस्तावित रास्ता को सहमति ... राजस्व अभिलेख में गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत करवा देंगे किंतु अंत में विगत सप्ताह ...र्थीया के उक्त न्यायोचित निवेदन को ठुकरा दिया। प्रार्थीया द्वारा समझौता माध्यम से भी ...यास किया किंतु अप्रार्थीगण ने अस्वीकार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थीया का प्रार्थना ...त्र मार्ग स्वीकृत हेतु है जो 2/– रूपए के न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत है तथा माननीय ...यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा समयावधि में प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थीया की प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार प्रार्थीया को ...पनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु पत्थर लाईन पर स्वीकृत रास्ता से प.नं. 176/234 के मु.नं. ...4 के किला नं. 22 की पश्चिम दिशा की तरफ $16^{1/2}$ फीट चौड़ा रास्ता जिसकी लम्बाई ...क्षिण से उत्तर की तरफ 165 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता व अन्य विकल्पतः रास्ता पत्थर नं. ...76/234 के मु.नं. 24 के किला नं. 21 के पूर्व दिशा की तरफ किला नं. 22 के साथ चिपते ...ए $16^{1/2}$ फीट चौड़ा व दक्षिण से उत्तर की ओर 165 फीट लंबा व इसी पत्थर नं. मु.नं. 24 ...के किला नं. 20 के पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ किला नं. 19 के चिपते हुए $16^{1/2}$ [illegible] ...व दक्षिण से उत्तर की तरफ 20 फीट लम्बा रास्ता है कि व्यव[illegible]स्वीकृत कि... ...जाकर राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जाने का [illegible] ...किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kur
Meena
Date: 2024.05.21 16:03:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस ...तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 बावजूद सूचना उपस्थित नही है। अप्रार्थी संख्या 1 की ...ओर जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया। अप्रार्थी संख्या 2,3,5 जरिये

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

उपस्थित हुये लेकिन बार–बार समय दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार सांगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 262 क 21.08.2023 द्वारा पक्षकार आपस मे सहमत नही होना व प्रार्थी द्वारा अपने खेत में जाने लिए मु.न. 24 के किला नं. 22 में रास्ता चाहा गया है जो कि मु.न. 24 के किला नं. 22 के टतम एवं प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना एवं रास्ता स्वीकृत किये जाने की शंषा की गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट ा की अत्यातिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है कि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि र्थी की कृषि भूमि चक 14 एमकेएस में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का व होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु यतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए टीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 14 एमकेएस के प.न. 176/234 मु.न. 24 किला न. की पश्चिम दिशा की तरफ $16^{1/2}$ फीट चौड़ा 165 फीट लम्बा दक्षिण से उत्तर की ओर न डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका न गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें। र्थी को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का ारी द्वारा किया जाना सुनिशिचित करावे, तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। बली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे म सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.21 15:03:23 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official